राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या –535/2014/अजमेर

श्रीमती दीपा जैन पत्नी श्री मिश्रीलाल जैन
निवासी–63/11,ब्रह्मपुरी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार.जरिये उप पंजीयक,
अजमेर प्रथम .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक ...प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अधिवक्ता ..अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.08.2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 की धारा 65 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) वृत अजमेर (जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 70/2010 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण संख्या संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल पत्नि श्री चिरंजीलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी कचहरी रोड,अजमेर वर्तमान सुन्दर विलास, अजमेर ने ए.एक.सी. नम्बर 10/371, सुन्दर विलास,अजमेर स्थित क्षेत्रफल 500 वर्गगज जरिए बैनामा रू.2,51,000/– में प्रार्थीया को विक्रय किया। पक्षकारों ने उक्त बैनामा पंजीयन हेतु दिनांक 16.12.2009 को उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने प्रस्तुत बैनामा को दिनांक 16.12.2009 को पंजीकृत करके पक्षकारों को लौटा दिया। तत्पश्चात उक्त सम्पत्ति का मौका निरीक्षण करने पर प्रश्नगत सम्पत्ति को मुख्य सडक पर स्थित होने तथा दोनों तरफ दुकाने है इसलिए उसकी मालियत वाणिज्यिक दर से निर्धारित करने का मौका निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक ने प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रू. 20,91,716/–आंकते हुए उस पर पूर्व में अदा की गई मुद्रांक कर एवं पंजीयक शुल्क को कम करते हुए शेष मुद्रांक कर रू. 72,670/–, शेष पंजीयन शुल्क रू. 18,270/–जमा कराने हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में शेष मुद्रांक कर रू. 72,670/–, शेष पंजीयन शुल्क रू. 18,270/– जमा नहीं कराने के कारण उप पंजीयक ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया। कलक्टर (मुद्रांक) ने साईक्लोस्टाईल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर शेष मुद्रांक कर रू. 72,670/–, शेष पंजीयन शुल्क रू.

18,270/–शास्ति रू. 160/– मय 18 प्रतिशत की दर से जरिए कुर्की वसूल करने का निर्णय दिनांक 13.04.2010 को पारित किया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर प्रार्थीया निगराकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थीया निगराकार के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति कय करने के पश्चात उप पंजीयक द्वारा मालियत रू. 2,51,000/– निर्धारित की थी और उसके आधार पर ही मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात विक्रय पत्र उप पंजीयक ने पंजीबद्ध करके उनको लौटाया था। उनका कथन है कि बाद में उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का मौका मुआयना किया जाकर उक्त भूमि की मालियत रू. 20,91,716/–11,62,500/– निर्धारित कर, उस पर कमी मुद्रांक कर रू. 72,670/–38,550/– एवं कमी पंजीयन शुल्क रू.18,270/–वसूल करने का रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष पेश कर दिया है। उनका कथन है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने आक्षेपित प्रकरण पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है, केवल मात्र साइक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आदेश पारित किया है जिसे न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। उक्त कथनों के समर्थन में 2010 ए आई आर एस सी डबलू 3277 पर छपे न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए उन्होंने प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उप पंजीयक के रेफरेन्स का समर्थन करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) वृत अजमेर के आदेश को बहाल रखने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान मनन किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 13.04.2010 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही साईक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित ओदश पारित किया है,जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं । किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय

अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। प्रार्थीया निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

इस पीठ द्वारा उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में निगरानी स्वीकार करते हुए कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण संख्या में पारित आदेश दिनांक 13.04.2010 को अपास्त करती है तथा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त विवेचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निष्कर्ष की पूर्ण पालना करते हुए, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात आदेश प्राप्ति के चार माह के भीतर पुनः Self Speaking आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य